न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 60 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. जवानसिंह पुत्र सवाईसिंह 2. मोहनसिंह पुत्र सवाईसिंह 3. दौलतसिंह पुत्र सवाईसिंह 4. चुतरसिंह पुत्र सवाईसिंह 5. श्रीमती बखतकंवर पत्नी सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी तामलोर तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर	1. मोकमसिंह पुत्र ईजतसिंह 2. हड़वंतसिंह पुत्र ईजतसिंह 3. सगतसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत निवासी तामलोर तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाड़मेर 5. बी सी सी बी शाखा गडरारोड़ जरिये मैनेजर तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 193 / 2015 बअनवान जवानसिंह वगै. बनाम मोकमसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री दामोदरकुमार चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री महेन्द्रकुमार रामावत रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—20.01.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खुद काश्त जागीर का एक खेत खसरा नम्बर 140 रकबा 130.18 बीघा ग्राम तामलोर तहसील गडरारोड में आया हुआ है। भू प्रबंध के समय उक्त अपीलाधीन खेत खसरा नम्बर 140 अन्य खेतो के साथ अपीलांटस के वाल्दि सवाईसिंह व उनके चाचा स्व. जवाहरसिंह की खातेदारी शामलाती दर्ज हुए भू प्रबंध के समय अपीलांटस के वाल्दि स्व. सवाईसिंह शैशवकाल में थे उनकी देख रेख उनके चाचा स्व. सवाईसिंह ही करते थे एवं भौतिक रूप से उन्हें अपने चाचा का ही संरक्षण था। राजस्थान टिनेंसी भूमि का अधिनियम क्षेत्र निर्धारण नियम 1963 (जिसे इस अपील के आगामी पदों में पुराना सिलिंग कानून कहा जायेगा) प्रभाव में आया उस समय अपीलांटगण के वाल्दि सवाईसिंह की उम्र मात्र 14 साल थी और इस कारण पुराने सिलिंग कानून के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकरण की समूचित पैरवी व कार्यवाही, स्व. सवाईसिंह की ओर से उनके चाचा जवाहरसिंह ने की तथा जवाहरसिंह व सवाईसिंह के प्रकरणों का निर्णय शामलाती हुआ तथा उस निर्णय में जवाहरसिंह के हिस्से से जो रकबा अधिग्रहण करने का आदेश हुआ, उसकी पालना में हल्का पटवारी ने जवाहरसिंह की अन्य खातेदारी के साथ अपीलांटस की अपीलाधीन आराजी भी अधिग्रहण कर, अपीलांटस के वाल्दि स्व. सवाईसिंह के खेत से कम कर दिया जिसका ज्ञान खातेदार स्व. सवाईसिंह को अपनी अवयस्कता के कारण नहीं हो पाया। सन 1975 में भूमि अधिग्रहण के पश्चात पुन जवाहरसिंह ने अधिग्रहित भूमि की गणना तहसील कार्यालय शिव में उपस्थित होकर करवाई तो पाया कि स्व. सवाईसिंह के हिस्से व कब्जा काश्त का अपीलाधीन खेत खसरा संख्या 140 गलत तौर पर अधिग्रहित हुआ और इस भूल सुधार हेतु तहसीलदार शिव ने दिनांक 30.11.1976 को आदेश पारित कर अधिग्रहित अपीलाधीन आराजी खेत खसरा संख्या 140 पुनः स्व सवाईसिंह के खाते में जरिये नामान्तकरण संख्या 388 दर्ज किया इसके छः साल पश्चात अपीलांट के वाल्दि सवाईसिंह की जानकारी में लाये अपीलाधीन खसरा संख्या 140 सरकारी खाते में दर्ज कर दी। अपीलांटस की खोदारी भूमि कम कर उतरदाता संख्या 01 से 03 को आवंटन कर दी गई। जिसे अपनी खातेदारी में घोषित करवाने हेतु हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण की खुद काश्त जागीर का एक खेत खसरा नम्बर 140 रकबा 130.18 बीघा ग्राम तामलोर तहसील गडरारोड में आया हुआ है। भू प्रबंध के समय उक्त अपीलाधीन खेत खसरा नम्बर 140 अन्य खेतो के साथ अपीलांटस के वाल्दि सवाईसिंह व उनके चाचा स्व. जवाहरसिंह की खातेदारी शामलाती दर्ज हुए भू प्रबंध के समय अपीलांटस के वाल्दि स्व. सवाईसिंह शैशवकाल में थे उनकी देख रेख उनके चाचा स्व. सवाईसिंह ही करते थे एवं भौतिक रूप से उन्हें अपने चाचा का ही संरक्षण था। अपीलाधीन आराजी सिलिंग एक्ट के तहत अधिग्रिहित की गई। सन 1975 में भूमि अधिग्रहण के पश्चात पुन जवाहरसिंह ने अधिग्रहित भूमि की गणना तहसील कार्यालय शिव में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपस्थित होकर करवाई तो पाया कि स्व. सवाईसिंह के हिस्से व कब्जा काश्त का अपीलाधीन खेत खसरा संख्या 140 गलत तौर पर अधिग्रहित हुआ और इस भूल सुधार हेतु तहसीलदार शिव ने दिनांक 30.11.1976 को आदेश पारित कर अधिग्रहित अपीलाधीन आराजी खेत खसरा संख्या 140 पुनः स्व सवाईसिंह के खाते में जरिये नामान्तकरण संख्या 388 दर्ज किया इसके छः साल पश्चात अपीलांट के वाल्दि सवाईसिंह की जानकारी में लाये अपीलाधीन खसरा संख्या 140 सरकारी खाते में दर्ज कर दी। अपीलांटस की खोदारी भूमि कम कर उतरदाता संख्या 01 से 03 को आवंटन कर दी गई। नामांन्तकरण संख्या 388 से अपीलाधीन आराजी पुनः अपीलांटस के वाल्दि सवाईसिंह के खाते में पुन दर्ज होना स्पष्ट है उसके पश्चात तो पुरानी सिलिंग के प्रकरण बंद हो चुके थे। उस प्रकरण की किसी ने सन 1981 में भी ओपन नहीं करवाया फिर क्या कारण है कि यह आराजी स्व सवाईसिंह के खाते से किस कारण कम हुई कम होने का कारण विचरण न्यायालय को जानना आवश्यक था परन्तु उन्होने बावजूद निवेदन इस तथ्य को अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। हस्तगत वाद खातेदारी रेकर्ड के संधारण में हुई त्रुटियों से संबंधित है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हस्तगत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना विधि से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस को अपीलाधीन आराजी नियमानुसार आवंटन की गई। वक्त आवंटन से रेस्पोडेंटस का अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। रेस्पोडेंटस के पक्ष में अपीलाधीन आराजी का जो आवंटन आदेश पारित किया गया उसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा माननीय जिला कलक्टर बाड़मेर के समक्ष अपील पेश की गई विचाराधीन है। रेस्पोडेंटस के पक्ष में हुए आवंटन को खारिज करने का दावे में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्व रूप से पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उपभयपक्ष की उपस्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील को मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस संख्या 01 ही अपने परिवार का मुखिया है जो मौजुदा समय में होम गार्ड में तैनात है तथा गत सवा साल से लगातार अपनी सकूनत से बाहर, खनिज विभाग व उसके पश्चात कोरोना में अधिकारियों के साथ ड्यूटी पर रहने से अपीलाधीन प्रकरण की समय पर जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। हाल ही में अपीलांट अपनी सकूनत पर आया तब दूरभाष पर अपने वकील से प्रकरण के बारे मे पूछा तो वाद के खारिज होने का ज्ञान हुआ। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश कर दिनांक 28.09.2022 को प्रमाणित नकलें प्राप्त की तब अपीलांटस को निर्णय का वास्तविक ज्ञान हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अपीलांटस ने हस्तगत वाद के जरिये सिंलिग में अधिग्रहित की गई भूमि को खातेदारी में घोषित करवाने की सहायता प्रतिवादीगण से चाही है जबकि अपीलाधीन आराजी रेस्पोडेंटस को आवंटीत की गई। वाद की पत्रावली पर आये साक्ष्य से अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंटगण का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तनकीवार पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 193/2015 बअनवान जवानसिंह वगै. बनाम मोकमसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2019 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर